

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर  
क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एस-258/2019/ दिनांक:-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
जिला परिषद,  
बून्दी।

विषय:- श्रीमती शान्ता सैनी, नर्स-2 परिवीक्षाधीन का अवकाश स्वीकृत करने बाबत।  
सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 203 दिनांक 27.03.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के द्वारा श्रीमती शान्ता सैनी, नर्स-2 परिवीक्षाधीन का अवकाश स्वीकृत सम्बन्धी प्रकरण में लेख है कि कार्मिका ने पूर्व में परिवीक्षाकाल के दौरान आवेदित अवकाश अवधि के अतिरिक्त अन्य अवकाश का उपभोग किया है अथवा नहीं, ? की सूचना एवं कार्मिका का दिनांक 18.01.17 से 27.01.17 तक का (चिकित्सा अवकाश) जीए-45 में असाधारण अवकाश अंकित कर संशोधित जीए-45 भिजवाने का श्रम करें। की सूचना चैक लिस्ट सहित भिजवाये, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।


→SL  
संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 14/5/19

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एस-258/2019/674

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 2- प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।

  
संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये  
राजस्थान जयपुर